न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 33/2024

बउनवान

1. राहुल नागर आयु 18 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड
2. किट्टू नागर आयु 15 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड नाबालिग जर्ये वली माता पूजा पत्नि भैरूलाल धाकड निवासी अनन्तपुरा तालाब गांव कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मो0नं0 9499960018

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र बिरजा उर्फ बिरधीलाल आयु 40 साल जाति धाकड निवासी गाडिया कॉलोनी एक्सीलेण्ट स्कूल के पास तेल फेक्ट्री बारां जिला बारां
2. मंजूबाई पत्नि बनवारीलाल आयु वर्ष जाति मीणा निवासी गाडिया कॉलोनी तेल फेक्ट्री बारां
3. राज० सरकार जयें तहसीलदार, बारां

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1279 दिनांक 12.07.2024 ग्राम तुलसां तहसील बारां

उपस्थितः 1. श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक (अपीलांट्स)
2. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक (रेस्पोडेण्ट्स)

निर्णय दिनांक 17.11.2025

अपीलांट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम तुलसां तहसील बारां मे आराजी खसरा नंबर 235 रकबा 1.24 हे०, खसरा नंबर 250 रकबा 0.77 हेक्टेयर, खसरा नंबर 251 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 830 रकबा 0.05 हेक्टेयर स्थित है जिसमे रेस्पो० कम 1 भैरूलाल का 11/27 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त आराजियात पैत्रिक संपत्ति है जो विरासत में भैरूलाल को उसके पिता बिरजा उर्फ बिरधीलाल से प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सम्वत 2038 से 2057 से होती है। अपीलान्ट्स रेस्पो० कम 1 के पुत्र है तथा उक्त विवादित आराजियात मे बिरजा उर्फ बिरधीलाल के पौत्र होने से उनका समान हक हिस्सा निहीत है। चूंकि रेस्पो० कम 1 कर्ता खानदान होने से व अपीलान्ट्स नाबालिग होने से उक्त विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो० कम 1 के नाम पर अंकित चली आ रही थी अतः उसने उसका नाजायज लाभ उठाकर अपने जुए सट्टे एंव शराब का शोक पूरा करने के उद्देश्य से अपीलान्ट के हितो के विपरीत जाकर उक्त विवादित आराजियात के हिस्सा 11/27 का बेचान रेस्पो० कम 2 के पक्ष में दिनांक 28/12/2020 को जये रजिस्टर्ड विकय पत्र कर दिया जबकि उक्त बेचान के समय अपीलान्ट्स ने रेस्पो० कम 1 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय उपखन्ड अधिकारी बारां के यहां अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ था। किन्तू रेस्पो० कम 2 ने रेस्पो० कम 3 से मिलकर उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपने पक्ष में इन्तकाल नंबर 1279 दिनांक 12/07/2024 को दर्ज करवा लिया है जो विधि विरूद्ध एवं अपीलान्ट्स के हकूको के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण नंबर 1279 दिनांक 12/7/2024 बहक रेस्पो० कम 2 निरस्त फरमाया जावे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण अन्तिम अभयपक्ष हेतु नियत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:08 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स रेस्पो० कम 1 के पुत्र है तथा उक्त विवादित आराजियात मे बिरजा उर्फ बिरधीलाल के पौत्र होने से उनका समान हक हिस्सा निहीत है। चूंकि रेस्पो० कम 1 कर्ता खानदान होने से व अपीलान्ट्स नाबालिग होने से उक्त विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो० कम 1 के नाम पर अंकित चली आ रही थी अतः उसने उसका नाजायज लाभ उठाकर अपने जुए सट्टे एंव शराब का शोक पूरा करने के उद्देश्य से अपीलान्ट के हितो के विपरीत जाकर उक्त विवादित आराजियात के हिस्सा 11/27 का बेचान रेस्पो० कम 2 के पक्ष में कर दिया जबकि उक्त बेचान के समय अपीलान्ट्स ने रेस्पो० कम 1 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय उपखन्ड अधिकारी बारां के यहां अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ था। किन्तू रेस्पो० कम 2 ने रेस्पो० कम 3 से मिलकर उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपने पक्ष में अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करवा लिया जो विधि विरूद्ध एवं अपीलान्ट्स के हकूको के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे अथवा उक्त इंतकाल को विवादित घोषित किया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अभिभाषक अपीलांट्स के कथन का खंडन करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स ने आराजीयात पुश्तैनी होना अंकित किया है जबकि विवादित आराजीयात अपीलांट्स की पुश्तैनी आराजीयात नहीं है। इंतकाल समरी ट्रायल एवं फिस्कल कार्यवाही है, इसमें हक, हिस्सा व अधिकारों का विनिश्चय नही किया जा सकता। इंतकाल की कार्यवाही एक मुतफर्रिक कार्यवाही है, इसमें हक, हिस्सा व अधिकारों का विनिश्चय नही हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षकारान के मध्य घोषणा का वाद लम्बित है तथा उसी में बाद साक्ष्य उभयपक्ष के हक हकूक तय होंगे। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इंतकाल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने विधिक दृष्टांत 2023(1) सीजे(सिव.) (राज.) 613 तथा 2022 आरबीजे 745 की छायाप्रतियां पेश करते हुए अपील अपीलांट्स खारिज करने की इस्तदुआ की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया चूंकि उभयपक्षकारान के मध्य घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है तथा उसी में बाद निर्णय उभयपक्ष के अधिकारों का निर्धारण होना है। नामान्तकरण समरी ट्रायल एवं फिस्कल कार्यवाही है जिसके माध्यम से अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

कार्यालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:08 IST
Reason: SelfAttested